माननीय न्यायामूर्ति एच. के. संधू के समक्ष

सतीश कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

आपराधिक विविध संख्या *1908*-एम. सन *1993* 22 अक्टूबर, 1993।

दंड प्रक्रिया संहिता *(1980* का *5)*-धारा 482-पंजाब जेल नियमावली पैरा *576*ए- दहेज हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काटरहा याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता को अस्थायी 'बी' श्रेणी की सुविधाएं दी गईं-बाद में ये सुविधाएं वापस ले ली गईं क्योंकि हरियाणा सरकार केनिर्देश दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के दोषी व्यक्तियों को 'बी' श्रेणी की सुविधाओं की अनुमति नहीं देते हैं-सुविधाओं को वापस लेने कीचुनौती-ऐसी 'बी' श्रेणी की सुविधाओं को सही ढंग से वापस ले लिया गया।

अभिनिर्णित,10 अप्रैल, 1992 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसकी पत्नी शशि बाला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।उसके खिलाफ आरोप था कि वह दहेज से संतुष्ट नहीं था और उससे मांगी गई दहेज नहीं लाने पर मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी गई।फिर उसे जला दिया गया ताकि हत्या के सबूतों को नष्ट किया जा सके।यह हो सकता है कि अपराध का उद्देश्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ था, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी की हत्या का दोषी है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था।संलग्नक आर-3 स्पष्ट रूप से दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के दोषी व्यक्तियों को 'बी' श्रेणी की सुविधाएं देने पर रोक लगाता है।याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, इस प्रकार 'बी' श्रेणी की सुविधाओं के अनुदान के लिए उसकी प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ताओं की ओर से ए. एल. बहल, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिए एस. एस. गिल, ए. एएजी हरियाणा।

निर्णय

हाफमोहिंदर कौर संधू, जे.

1. याचिकाकर्ता सतीश कुमार, तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।23 अप्रैल, 1981 को उन्हें दोषी पाया गया, जबकि उनके सह-अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कर लिया गया।याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता

की धारा 222 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उन्हें 25 नवंबर, 1981 को इस अदालत की एक खण्ड पीठ द्वारा बरी कर दिया गया।इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की।अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल, 1992 को अपील पर सुनवाई की गई।जिसे स्वीकार कर लिया गया और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि का सहारा लिया गया।याचिकाकर्ता ने 13 जुलाई, 1992 को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।उन्होंने हिसार की केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष उन्हें बी श्रेणी की सुविधाओं को बहाल करने के लिए प्रतिनिधित्व किया जो उन्हें पहले दी गई थीं।याचिकाकर्ता स्नातक था और उसने वर्ष 1975 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। जेल अधीक्षक ने उन्हें अस्थायी आधार पर बी श्रेणी की सुविधाओं की अनुमति दी।लेकिन हरियाणा के जेल महानिरीक्षक कार्यालय से कुछ निर्देश मिलने पर उन्हें वापस ले लिया गया।याचिकाकर्ता ने केंद्रीय जेल, हिसार में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए प्रथम श्रेणी सुविधाएं लिए यह याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की।

2. याचिका में कहा गया है कि पंजाब जेल नियमावली के पैरा 576ए के तहत, जो कैदी सामाजिक स्थिति, शिक्षा या जीवन की आदत से बेहतर जीवन शैली के आदी हो गए हैं, उन्हें बी श्रेणी के कैदी माना जाना था।पंजाबी या हिंदी (ज्ञानी या प्रभाकर) में किसी भी संकाय या सम्मान में स्नातक होने वाला कैदी भी जेल में 'बी' श्रेणी की सुविधाओं का हकदार था।पंजाब जेल नियमावली के पैरा 576ए में एक वैधानिक बल था और महानिरीक्षक जेल या सरकार को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश बाध्यकारी नहीं थे और वे अमान्य थे।
3. प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को उसकी पत्नी शशि बाला की हत्या और हत्या के सबूतों को नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था।इस भयानक कृत्य के पीछे का उद्देश्य यह था कि याचिकाकर्ता दहेज से संतुष्ट नहीं था, जो उसे शादी के समय प्राप्त हुआ था।इस आधार को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता 21 जनवरी, 1985 के हरियाणा सरकार के निर्देशों के पैरा 2 (i) के अनुसार 'बी' श्रेणी की सुविधाओं का हकदार नहीं था। दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के दोषी व्यक्ति जेल में 'बी' श्रेणी की सुविधाओं के लिए पात्र नहीं थे।'बी' श्रेणी के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता का मामला 4 सितंबर, 1992 को अतिरिक्त महानिदेशक जेल हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजा गया था और उसे 22 जनवरी, 1993 को खारिज कर दिया गया था,क्योंकि उसने दहेज के लालच में अपनी पत्नी की हत्या का जघन्य और क्रूर अपराध किया था।
4. खारिज किए गए आदेश की प्रति याचिकाकर्ता की प्रार्थना को रिकॉर्ड में रखा गया है जो कि संलग्नक आर-एक है।

सतीश कुमार बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

(हाफमोहिंदर कौर संधू, जे.)

ए बी और सी वर्ग।इस पत्र के अनुसार, जिन कैदियों ने हिंदी (रभाकर) या पंजाबी (ज्ञानप इरुम एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) ऑनर्स में स्नातक उत्तीर्ण किया था, उन्हें 'बी' श्रेणी के कैदियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।मान लीजिए, याचिकाकर्ता स्नातक है।संलग्नक पी-4याचिकाकर्ता को दी गई कला स्नातक की डिग्री की प्रतिलिपि है।हालाँकि, याचिकाकर्ता पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक आर-3 के अनुसार 'बी'श्रेणी के कैदी के रूप में वर्गीकृत होने का हकदार नहीं है।यह पत्र वित्तीय आयुक्त और सरकार के सचिव, हरियाणा जेल विभाग द्वारा जेल महानिरीक्षक, हरियाणा, चंडीगढ़ को पहले के पत्र संलग्नक आर-2 की निरंतरता में जारी किया गया था।वहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 'बी' श्रेणी की सुविधाएं प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया थाः—

1. दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के दोषी व्यक्ति;
2. ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति कि महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है; और
3. सरकारी गुप्त अधिनियम, 1923 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति।ये निर्देश अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक द्वारा जारी नहीं किए गए हैं जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है, बल्कि सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।

7. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दंडनीय है।उन्हें केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया था और इसलिए, संलग्नक आर-3 में निहित निर्देश उनके मामले में लागू नहीं थे।विद्वान अधिवक्ता का यह समर्पण अच्छा नहीं है।
8. 10 अप्रैल, 1992 के शीर्ष अदालत के फैसले के संलग्नक पी-3 में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसकी पत्नी शशि बाला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।उसके खिलाफ आरोप।कि वह था।दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह उससे माँगा गया दहेज नहीं ले आया था।फिर उसे जला दिया गया ताकि हत्या के सबूतों को नष्ट किया जा सके।यह हो सकता है कि अपराध का उद्देश्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ था, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी की हत्या का दोषी है,जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था।उन पर वर्ष 1980 में अपराध का आरोप लगाया

गया था जब धारा 304-बी लागू नहीं की गई थी।यह केवल वर्ष 1986 में था कि धारा 304-बी को दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (5. संलग्नक आर-3 स्पष्ट रूप से दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के दोषी व्यक्तियों को 'बी' श्रेणी की सुविधाएं देने पर रोक लगाता है) द्वारा जोड़ा गया था।।याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, इस प्रकार 'बी' श्रेणी की सुविधाओं के अनुदान के लिए उसकी प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

9. ऊपर दर्ज कारणों से मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और मैं इसे खारिज करता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा